-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी/टप्पेबाजी करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। मौके से अभियुक्तों के कब्जे से चोरी/टप्पेबाजी के आभूषण सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आदि बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टॉक के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी/टप्पेबाजी करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अरवई की रहने वाली रामप्यारी ने दिनांक 06.06.2026 को थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी कि 02 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जिला अस्पताल गेट के बाहर बातों में उलझाकर उनके पहने हुए आभूषण लेकर भाग गए। सूचना पर थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। इस दौरान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए आस-पास के सीसीटीवी कैमरो व अन्य वैज्ञानिक एवं तकनीकि साक्ष्यों का प्रयोग करते हुए आज दिनांक 12.06.2026 को सुबह गश्त एवं चेकिंग के दौरान चहितरा रोड मवई बुजुर्ग से गिरफ्तार कर लिया गया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया तथा तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चोरी/टप्पेबाजी के आभूषण व नकद रुपए आदि सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। **इस सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा और गहनता से पूछताछ कर जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और किन-किन स्थानों और कितने से लोगों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है।**

बरामदगी-

- 02 बाला पीली धातु
- 01 लाकेट पीली धातु
- 06 दाने पीली धातु
- 02 पायल सफेद धातु
- 01 मोटरसाइकिल (चोरी/टप्पेबाजी में प्रयुक्त)
- 290/ रुपए नकद

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. काजिम उर्फ कासिम पुत्र नत्थू निवासी निविया खेड़ा थाना सजेती जनपद कानपुर नगर।
2. ताजुद्दीन उर्फ गिल्ली पुत्र फखरूद्दीन निवासी निबिया खेड़ा थाना सजेती जनपद कानपुर नगर।
3. रफीक उर्फ कालू पुत्र छुट्टन निवासी सिरसी कला थाना खन्ना जनपद महोबा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 287/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त काजिम उर्फ कासिम उपरोक्त-</u>

1. मु0अ0सं0 437/23 धारा 419/420 भादवि थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 465/23 धारा 8/20 आर्म्स एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त रफीक उर्फ कालू उपरोक्त-</u>

1. मु0अ0सं0 543/24 धारा 115(2)/352/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री बलराम सिंह प्र0नि0 थाना कोतवाली नगर
2. श्री रामू सिंह चौकी प्रभारी जिला अस्पताल
3. कां0 शैलेन्द्र कुमार
4. कां0 रोहित गौतम
5. कां0 हर्षित गौतम